प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. 251/**2023**............................दिनांक 17/9/2023.....................................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **अधि.(यथा संशोधित 2018)** .... धाराये..........**7**
(II) * अधिनियम ....धारायें .... 384 भादस..
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....341.......................... समय 4:15pm
(ब) * अपराध घटने का वार.....**शनिवार......**दिनांक....16.09.2023 समय 11.55 **ए.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **13.09.2023**

4. सूचना की किस्म :—लिखित/मौखिक— **लिखित**

5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:—15 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम श्री आदित्य कौशिक
(ब) पिता/पति का नाम श्री महेशचन्द कौशिक
(स) जन्म तिथी/वर्ष 35 साल...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता — निवासी प्लाट नं. प्लॉट नम्बर 65 बलराम नगर आगरा रोड जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —
1— श्री रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचन्द सोयल जाति खटीक, उम्र 42 साल, निवासी मकान नं. ए—167, जेडीए कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र के पास, पालडी मीणा जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं. 123, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—..
....————..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
............................रिश्वती राशि ......30,000/— रूपये

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 30,000/—

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

निवेदन है कि दिनांक 13.09.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक मूलचन्द मीणा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनके सामने बैठे एक व्यक्ति से मेरा परिचय करवाया, जिसने अपना नाम आदित्य कौशिक पुत्र श्री महेश चन्द्र कौशिक जाति ब्रहामण उम्र करीब 35 साल निवासी प्लॉट नम्बर 65 बलराम नगर आगरा रोड

जयपुर होना बताया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित कर मुझे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया जिस पर मैने परिवादी व उसके प्रार्थना पत्र को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का था कि "श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी चतुर्थ जयपुर शहर विषयः– श्री रामकिशोर सोयल वार्ड पार्षद नगर निगम जयपुर वार्ड के द्वारा हमारे नवनिर्मित भवन को बनाने की एवज में रिश्वत मागने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा दोस्त मनीष बैरवा व मैं आगरा रोड स्थित लक्ष्मी नगर । पालडी मीना जयपुर में प्लॉट नम्बर 55 में निर्माण कार्य चालु कर रखा है प्लाट का निर्माण छत लेवल पर आ गया है वहा पर ठेकेदार संजय मीणा काम कर रहा है दिनांक 11.09.2023 को मोटर साईकिल से प्लॉट पर दो व्यक्ति आये और ठेकेदार संजय मीणा से कहा की इस प्लॉट का मालिक/काम करवा रहे वो कहा है तो संजय ने कहा की वो कही बहार है तो उन्होने एक मो. न. 7891437609 देकर कहा की मकान मालिक को व काम चालु करने वाले को बोल देना कि इस नम्बर पर बात कर लेगे मैने इस नम्बर पर बात की तो मेरे को उस सामने वाले ने बोला काम आपने ही चला रखा है क्या तो मैने कहा हा हमारा ही काम चल रहा है, क्या बात है तो उसने कहा की मो. न. 9314424049 यह पार्षद रामकिशोर जी के है उनसे निर्माण के सम्बन्ध में बात कर लेना मैने इस नम्बर पर बात की तो उन्होने अपने पार्षद कार्यालय पालडी मीणा में बुलाया और प्लाट के बनने के सम्बन्ध में पार्षद ने कहा की प्लाट बनाना है तो मुझे खर्चा देना होगा नही तो मैं इसे तुडवा दुगा मैने कहा की क्या खर्चा देना होगा तो उन्होने ये कहा की शाम को अकेले में मेरे से मिलना श्री रामकिशोर पार्षद नगर निगम अपने पद का दुरूपयोग कर मेरे से अवैध रिश्वत राशि दबाव बनाकर प्राप्त करना चाहता है मैं उसको खर्चा व रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। कार्यवाही करने की कृपा करे दिनांक 13.09.2023 प्रार्थी एसडी आदित्य कौशिक S/O श्री महेश चन्द्र कौशिक प्लाट न. 65 बलराम नगर आगरा रोड जयपुर मो. न. 7014462463" इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आदित्य कौशिक से पुनः नाम पता पूछा तो उसने पूर्व वाला अपना नाम पता बताया तथा मजिद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है तथा परिवादी ने बताया कि उक्त प्लॉट पर मकान बनवाने का कार्य मेरे दोस्त श्री मनीष बैरवा पुत्र श्री गोविन्द बैरवा निवासी सी–423 पालडी मीणा आगरा रोड जयपुर ने मुझे जुबानी रूप से कहकर सौप रखा है। उक्त प्लॉट पर मकान निर्माण की एवज में पार्षद श्री रामकिशोर सोयल मेरे से 25–30 हजार रूपये की मांग कर रहा है ओर पार्षद जी कह रहे है कि रूपये दे दो गे तो आपका प्लॉट बन जाएगा वरना नगर निगम जयपुर व जेडीए से काम रूकवा दूगा। मैं यहा का वार्ड पार्षद हु मेरी दोनो जगह सेटिंग हैं। रूपये देने के बाद तेरे को जेडीए व नगर निगम से कोई परेशान नही करेगे। प्लॉट मालिक मेरे दास्त श्री मनीष बैरवा ने ही मुझ से पार्षद श्री रामकिशोर के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा है। श्री मनीष बैरवा को घर पर अति आवश्यक कार्य होने की वजह से वह अभी एसीबी कार्यालय में नही आया है उसने मुझे ही भेजा है। वह बाद में आ जाएगा। वार्ड पार्षद श्री रामकिशोर मेरे दोस्त मनीष बैरवा से सीधे ही रिश्वत नही मांगकर मुझ से मांग रहा है। श्री रामकिशोर पार्षद मुझे अभी रिश्वत राशि के संबन्ध में वार्तालाप करने के लिए अभी उसके पार्षद कार्यालय पालडी मीणा नगर निगम जयपुर पर बुला रहा है। मेरी श्री रामकिशोर सोयल वार्ड पार्षद से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है तथा न ही कोई लेन देन शेष है। मै श्री रामकिशोर सोयल को रिश्वत लेते हुऐ को पकडवाना चाहता हूँ। मजीद दरियाफ्त एवं प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री ओमप्रकाश कानि0 438 को मन पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री आदित्य कौशिक से परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री आदित्य कौशिक को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वॉईस

रिकॉर्डर ओमप्रकाश कानि.न.438 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे स्वयं की रिपोर्ट से संबंधित कार्य के लिए रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री ओमप्रकाश कानि0 438 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के वाहन से पार्षद कार्यालय पालडी मीणा जयपुर रवाना किया गया। उसके बाद ओमप्रकाश काानि.न. 438 मय परिवादी श्री आदित्य कौशिक के कार्यालय में उपस्थित आये एवं बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री ओमप्रकाश कानि. न. 438 ने मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया व परिवादी श्री आदित्य कौशिक ने बताया कि मैं व ओमप्रकाश कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर पालडी मीणा पार्षद कार्यालय नगर निगम जयपुर के पास पहुंचे जहां पर मुझे श्री ओमप्रकाश कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु करके मुझे सुपुर्द किया व मुझे पार्षद कार्यालय में रिश्वत मांग संबन्धि वार्ता करने के लिए रवाना किया व श्री ओमप्रकाश कानि. पार्षद कार्यालय के बाहर ही रूक गये। मैं पार्षद कार्यालय के अन्दर गया वहा मुझे श्री रामकिशोर पार्षद मिला जिससे मैने मेरे दोस्त मनीष बैरवा के प्लॉट के सम्बन्ध में वार्ता की तो रामकिशोर पार्षद ने मुझसे उक्त प्लॉट के निर्माण कार्य में जेडीए व नगर निगम द्वारा कोई अवरोध पैदा नही होने देने की एवज में 30000 /– रूपये रिश्वत की मांग की है। इस वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। वार्ता होने के बाद बाहर आकर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री ओमप्रकाश कानि. को वापस सुपुर्द किया जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द किया। मैं व कानि. ओमप्रकाश पालडी मीणा से रवाना होकर वापस एसीबी कार्यालय आये है। श्री ओमप्रकाश कानि. ने भी श्री आदित्य कौशिक के कथनो की ताईद की। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप में लगाकर सरसरी तौर पर सुना तो वार्ता में रिश्वत मांग सत्यापित होना पायी गई। उसके बाद सहपरिवादी श्री मनीष बैरवा परिवादी श्री आदित्य कौशिक के साथ उपस्थित कार्यालय आया जिसमे एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री आदित्य कौशिक को एसीबी में कार्यवाही करने के लिए सहमति दी। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी आदित्य कौशिक व सहपरिवादी श्री मनीष बैरवा तथा समस्त स्टॉफ को दिनांक 16.09.2023 को कार्यालय उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया।

दिनांक 16.09.2023 को एसीबी स्टॉफ व परिवादी श्री आदित्य कौशिक व सहपरिवादी श्री मनीष बैरवा तथा दिनांक 15.09.2023 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश यादव व श्री कुनाल खिंची उपस्थित आये, स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री नरेश यादव हाल सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, व दूसरे ने अपना नाम श्री कुनाल खिंची हाल कनिष्ठ सहायक, हाल शीघ्र लिपिक कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी व सहपरिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। सहपरिवादी मनीष ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि उक्त संदिग्ध आरोपी श्री रामकिशोर पार्षद श्री आदित्य कौशिक से ही रिश्वत राशि लेगा। मेरे से नहीं लेगा क्योकि वो मेरे से बात भी नहीं करता है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी आदित्य कौशिक व सहपरिवादी श्री मनीष बैरवा को संदिग्ध आरोपी श्री रामकिशोर पार्षद वार्ड न 123 नगर निगम ग्रेटर जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी आदित्य कौशिक ने अपने पास से भारतीय चलन म्रुदा के 500–500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/–रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेशशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक जयपुर नगर तृतीय से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे

में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी आदित्य कौशिक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेश यादव से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात परिवादी श्री आदित्य कौशिक की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि 30,000/– रूपये रखवाये गये व इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी नये गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बोक्स से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथैलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना बताया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थैलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया व बताया गया कि आरोपी के द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर उक्त प्रक्रिया अपनाई जावेंगी तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कमरे से बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार व प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया इसके पश्चात समस्त स्टॉफ के हाथो को साबुन व साफ पानी से दुलवाया जाकर समय 11.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक श्री मूलचन्द मीणा, श्रीमती रजनी, पुलिस निरीक्षक मय श्री रतनदीप सहायक उप निरीक्षक, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री इन्द्र सिंह कानि नं. 148, श्रीमती नीलम कानि. नं. 22 व इन्द्र सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री नरेश यादव व श्री कुनाल खिंची व सह परिवादी श्री मनीष एवं मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक श्री अमित कुमार कानि. ड्राईवर न 529 के एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए रवाना हुए तथा परिवादी श्री आदित्य कौशिक के वाहन में परिवादी के साथ श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, स्वतंत्र गवाह श्री नरेश यादव को रवाना किया। उसके बाद हम सभी पार्षद कार्यालय वार्ड न 123 पालडी जयपुर से कुछ दूरी पूर्व पहुँचे, जहां पर परिवादी के वाहन मे परिवादी व ओमप्रकाश कानि एवं स्तवंत्र गवाहान नरेश यादव व हम सभी पहुँचे तथा वाहनो को साईड में खडा करवाकर गोपनीय रूप से मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 11.49 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आदित्य कौशिक को डिजिटल वॉइर्स रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड चालू कर आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पार्षद को रिश्वती राशि देने के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता व दोनो स्वतंत्र गवाहान् अपनी अपनी उपस्थिति का छुपाव हासिल करते हुऐ कार्यालय वार्ड नंबर 123 ग्रेटर नगर निगम पालडी मीणा जयपुर के आस–पास परिवादी के ईशारा के इन्तार में मुकिम हुए। समय 11.55 एएम पर परिवादी श्री आदित्य कौशिक ने कार्यालय पार्षद वार्ड नंबर 123 नगर निगम ग्रेटर पालडी मीणा जयपुर से बाहर निकल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व निर्धारित सिर पर हाथ फेर कर ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान व सह परिवादी

मनीष बैरवा के परिवादी के पास पहुॅचा तथा मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान व सह परिवादी मनीष बैरवा व परिवादी को साथ लेकर पार्षद कार्यालय वार्ड नंबर 123 के अंदर पहुॅचा, जहां पर बैठे व्यक्ति को मैने अपना परिचय दिया तथा परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी आदित्य कौशिक ने टेबल के पास सामने कुर्सी पर टी–शर्ट व लोअर पहने हुए बैठे व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री रामकिशोर सोयल पार्षद है जिन्होने अभी अभी मेरे से 30000/– रूपए प्राप्त कर अपने लोअर की जेब में रख लिए है। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान् का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचन्द सोयल जाति खटीक, उम्र 42 साल, निवासी मकान नं. ए–167, जेडीए कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र के पास, पालडी मीणा जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं. 123, नगर निगम ग्रेटर जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामकिशोर सोयल को परिवादी श्री आदित्य कौशिक से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पार्षद वार्ड नंबर 123 घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पुछने पर बताया कि आदित्य कौशिक मेरे से जेडीए कॉलोनी में स्थित प्लॉट ए–402 लेने के लिए चार–पॉच दिन से बात कर रहे थे उक्त प्लॉट की साई पेटे के 30000/– आज मुझे दिए है, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामकिशोर सोयल से उक्त प्लॉट बेचने के संबंध में कोई एग्रीमेन्ट/बेचाननामा के बारे में पुछा तो उसने कोई लिखा पढी नहीं होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी आदित्य कौशिक से इस बारे में पुछने पर उसने आरोपी श्री रामकिशोर सोयल की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे मित्र श्री मनीष बैरवा का प्लॉट नंबर 55 कॉलोनी लक्ष्मीनगर–ए, पालडी मीणा जयपुर में स्थित है उक्त प्लॉट में निर्माण का कार्य चल रहा है जहां पर दिनांक 11.09.2023 को दो व्यक्ति आए जिन्होंने ठेकेदार संजय मीणा जो इस प्लॉट पर निर्माण कर रहे थे, जिनको मोबाईल नंबर 7891437609 देकर गए और कहा कि मकान मालिक को बोल देना कि इस नंबर पर बात कर ले, जिस पर मैंने मेरे मित्र श्री मनीष बैरवा के कहने पर उक्त नंबर पर बात करी तो उसने कहा कि मोबाईल नंबर 9314424049 पार्षद रामकिशोर के है इन पर बात कर लेना, तो मैंने निर्माण के संबंध में बात करी तो उन्होंने मेरे से प्लॉट का निर्माण कार्य में व्यवधान, जेडीए व नगर निगम से नही तुडवाने के लिए खर्चा/रूपयो की मांग करी, जिस पर मैंने श्री मनीष बैरवा को बताया तो उसने मुझे एसीबी में शिकायत करने के लिए कहा। उसके पश्चात् मैंने दिनांक 13.09.23 को एसीबी कार्यालय में आकर पार्षद रामकिशोर के विरूद्ध शिकायत की। इस पर दिनांक 13.09.2023 को एसीबी द्वारा मांग सत्यापन करवाए जाने पर पार्षद रामकिशोर द्वारा जेडीए व नगर निगम से मकान निर्माण में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देने की एवज में मेरे से 30,000/– रूपए की मांग की। उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक को 30000/– प्राप्त कर अपने पहने हुए लोअर की बांयी साईड की जेब में रख लिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामकिशोर सोयल से पुछा कि आपने मनीष बैरवा प्लॉट नंबर 55 ए पर किन दो व्यक्तियो को आपसे बात करने के लिए भेजा तो आरोपी श्री रामकिशोर सोयल घबरा गया तथा चेहरे पर पसीना पोछने लगा तथा गले में थूक गिटने लगा तथा उन दोनों व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री आदित्य कौशिक की कही बातों की ताईद करने के लिए परिवादी, सहपरिवादी मनीष बैरवा व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री रामकिशोर सोयल, पार्षद वार्ड नं. 123 के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क

R–1 व R–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पार्षद के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री कुनाल खिंची से आरोपी श्री रामकिशोर सोयल की तलाशी लिवायी तो आरोपी रामकिशोर सोयल के पहने हुए लोअर की बायीं साईड की जेब में से 500–500 के नोट की गड्डी निकाल कर पेश की, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया जाने पर 30000/– भारतीय चलन मुद्रा की राशि होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान् से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो उक्त 500–500 रूपए के 60 नोट के नम्बर हुबहू होना पाये गये। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000/– रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामकिशोर सोयल के लिए लोअर की व्यवस्था की गयी व आरोपी के पहने हुए बरंग काला लोअर को सम्मानजनक उतरवाया जाकर दूसरा लोअर पहनाया गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री रामकिशोर सोयल की पहने हुए लोअर की बांयी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी की पहने हुए बरंग काला लोअर को सुखाकर आगे की बांयी साईड की जेब पर एक सफेद कपडा सिला जाकर उस पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामकिशोर सियोल पार्षद को आवाज नमूना फर्द मूर्तिब करने पर आरोपी श्री रामकिशोर सियोल पार्षद ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामकिशोर सियोल पार्षद का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगह कर धारा 41 सीआरपीसी में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात दिनांक 17.09.2023 को परिवादी श्री आदित्य कौशिक व स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश यादव व श्री कुनाल खिंची की उपस्थिति में दिनांक 13.09.2023 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 16.09.2023 की रिश्वत राशि लेन–देने के समय हुई वार्ता की ट्रांसकिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी ंदकपेा कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ैव अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब

कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित दो अन्य व्यक्ति जो प्लॉट पर जाकर पाषर्द व अन्य से मोबाईल पर वार्ता करने के लिए कहा उनके संबंध में स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्द दृष्टान्त, फर्द हाथ धुलाई, फर्द ट्रांसकिप्ट मांग सत्यावन, लेन देन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचन्द सोयल जाति खटीक, उम्र 42 साल, निवासी मकान नं. ए–167, जेडीए कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र के पास, पालडी मीणा जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं. 123, नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री आदित्य कौशिक के मित्र मनीष बैरवा के प्लॉट नंबर 55 लक्ष्मीनगर ए, पालडी मीणा जयपुर के निर्माण कार्य में जेडीए/नगर निगम से किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देने की एवज में दिनांक 13.09.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 30000/– की मांग करना व परिवादी को बार–बार फोन कर दबाव डालना व पैसे नहीं देने पर मकान को तुडवाने की धमकी देना तथा आज दिनांक 16.09.2023 को अपनी मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि लेन–देन के समय रिश्वती राशि 30000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचन्द सोयल जाति खटीक, उम्र 42 साल, निवासी मकान नं. ए–167, जेडीए कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र के पास, पालडी मीणा जयपुर हाल पार्षद वार्ड नं. 123, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384 भादस में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई।

(मूलचन्द मीना 17-9-23
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचन्द मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384 भादंसं में आरोपी श्री रामकिशोर सोयल पुत्र श्री मूलचन्द सोयल, हाल पार्षद वार्ड नं. 123, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 251/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

17.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2801-04 दिनांक 17.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

17.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।